

फतेहगढ़ एवं कमालगंज स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जी. समपार फाटक सं. 145 'सी' के संचालन हेतु  
अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य -

- |  |                                      |             |
|--|--------------------------------------|-------------|
| (1) समपार फाटक की संख्या :                     | 145                                  | श्रेणी : सी |
| (2) इंजीनियरिंग / यातायात फाटक :               | इंजीनियरिंग                          |             |
| (3) अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरिक्षक :         | सीसेई (रेल पथ)/कन्नौज                |             |
| (4) किलोमीटर पर स्थित :                        | 129 / 15—130 / 0                     |             |
| (5) स्टेशन                                     | फतेहगढ़                              |             |
| (6) स्टेशन मध्य :                              | फतेहगढ़ एवं कमालगंज                  |             |
| (7) बी0जी0 / एम0जी0 / एन0जी0 :                 | बी.जी.                               |             |
| (8) इकहरी / दोहरी / मिश्रित :                  | इकहरी                                |             |
| (9) सामान्य स्थिति :                           | सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द         |             |
| (10) इंटरलाकड़ / नानइंटरलाकड़ :                | नान इंटरलाकड़                        |             |
| (11) इंटरलाकिंग का प्रकार :                    | —————                                |             |
| (12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर          |                                      |             |
| (i) डाउन लाइन :                                | —————                                |             |
| (ii) अप लाइन :                                 | —————                                |             |
| (13) संकेतन व्यवस्था :                         | —————                                |             |
| (14) संचार साधन टेलिफोन / घंटी :               | टेलीफोन स्टें.मा./फतेहगढ़ से सम्बद्ध |             |
| (15) समपार फाटक की चौड़ाई :                    | 5.50 मीटर                            |             |
| (16) सड़क का प्रकार (एन0एच0 / एस0एच0 / अन्य) : | अन्य                                 |             |
| (17) सड़क का नाम :                             | विलेजरोड़                            |             |

( के0 एस0 सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )  
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )  
मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

गेट सं0 145 'सी'	121	
इसमें संशोधन पर्ची सं0 2 दिनांक	सम्मिलित है।	
स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/13		फतेहगढ़
जारी तिथि	लागू तिथि	
(18) पक्का/कच्चा :	पेवर्स ब्लॉक	
(19) पहुँच मार्ग :	पक्का	
(20) सड़क की चौड़ाई :	5.50 मीटर	
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	90 डिग्री	
(22) सड़क का ढाल यदि कोई हो		
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	समतल	
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	समतल	
(23) सड़क की चौड़ाई (सीधा/गोलाई)		
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	सीधा	
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	सीधा	
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	नहीं	
(25) बैरियर का प्रकार :	लिफिटंग बैरियर	
(26) चेक रेल की लम्बाई :	7.50 मीटर	
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	समतल	
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	7.50 मीटर	
(29) रोड साइन :	उपलब्ध	
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	उपलब्ध	
(31) टी0वी0यू0 :	2580 अप्रैल 2010	
(32) अगली गणना की तिथि :	2013	
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	है	
(34) गेटमैनों की संख्या :	दो	
(35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र :	कन्नौज	

( के0 एस0 सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )  
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )  
मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

गेट सं0 145 'सी'  
इसमें संशोधन पर्ची सं0 2 दिनांक  
स्टेशन संचालन नियम सं. इज्जतनगर/13

121  
सम्मिलित है।

जारी तिथि  
लागू तिथि

फतेहगढ़

(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की

उपलब्धता यदि कोई हो :

कन्तौज़

(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नहीं :

हॉ

1.2 उपकरण —

(1)	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
(2)	हरी हाथ झंडी	01
(3)	लाल हाथ झंडी	03
(4)	बैनर पलैग लाल	03
(5)	लाल बैनर पलैग लगाने हेतु पोस्ट	02
(6)	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
(7)	पटाखा सिगनल	10
(8)	ट्राय कलर पलैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
(9)	गेट लैम्प	02
(10)	टोमीवार	01
(11)	मोर्टार पैन (तसला)	01
(12)	फावड़ा/बेल्वा	01
(13)	दुर्मुठ	01
(14)	पिक एक्स	01
(15)	टिन केस झंडी के लिए	01
(16)	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
(17)	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
(18)	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
(19)	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
(20)	गेट पर अवरोध की दशा में समापर की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
(21)	टोकरी	01
(22)	सीटी (Thunder Whistle)	01

( के0 एस0 सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )  
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )  
मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(23) दीवार घड़ी	01
(24) छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

### **1.3 गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख**

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी/अंग्रेजी में।
- (2) गेट का कार्यकारी अनुदेश स्थानीय भाषा में।
- (3) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
- (4) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
- (5) डियूटी रोस्टर।
- (6) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
- (7) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनर्शर्यार्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
- (8) दुर्घटना रजिस्टर।
- (9) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
- (10) निरीक्षण पुस्तिका।
- (11) जन प्रतिवेदन पुस्तिका

### **1.4. गेटमैन के कर्तव्य :**

#### **(1) सावधानी**

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

#### **(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति :**

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दौये हाथ में सिमटी हुई लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हुई हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

#### **(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी**

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रहेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

जारी तिथि

लागू तिथि

- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुई ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।
- (v) गेट मैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे— हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैकयूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में हैं एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार हैं।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

**(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**

- यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा।
- (i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदानुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिग्नल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।
- (v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।

( के0 एस0 सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )

वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )

मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

जारी तिथि

लागू तिथि

- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान—प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

#### **(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ कोई प्रत्युत्र नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

#### **1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा**

##### **(अ) इकहरी लाइन पर**

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेटमैन तब पटाखे लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेटमैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुए पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह दिन में लाल झण्डी एवं रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुए उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प चालक को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

##### **(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही**

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या लिपिटंग बैरियर या गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे— वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

( को एस0 सोनाल )

मण्डल परिवालन प्रबन्धक (सा०)

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )

वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )

मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

**2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –****2.1 संचालन पद्धति :-**

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिपिटंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फैस जाए। विंच को इस स्थिति में पाशित (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के पाश (Lock) से चाभी को निकाल लेगा तथा इसे बूम लॉक लीवर पर लगे 'ई' प्रकार के लॉक में चाभी लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खीचने से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। गेट मैन चाभी बूम लॉक लीवर से निकाल चाभी को अपने पास रखकर गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में लिपटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए चाभी को बूम लॉक लीवर में लगाकर घुमाएगा तथा लीवर को नार्मल करेगा। बूम लॉक लीवर में से निकाली गई चाभी को विंच में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिपिटंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय।

**2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान :-****(I) सड़क यातायात पास करना-**

सड़क यातायात को पास करने के लिये ड्यूटी पर तैनात गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी गाड़ी का संचालन इस समय नहीं है तब वह फतेहगढ़ स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से समपार फाटक खोलने की अनुमति लेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर / फतेहगढ़ ये सुनिश्चित करने के बाद कि ब्लाक खण्ड में स्थित समपार पर कार्यरत गेटमैन जो समपार खोलने की अनुमति मौंग रहा है से इस आशय का प्राइवेट नम्बर आदान–प्रदान करने के पश्चात् कि गाड़ी उक्त समपार से पूर्ण रूपेण पास हो गई है, गेटमैन को गेट खोलने की अनुमति प्राइवेट नम्बर के साथ दे सकता है। गेटमैन इस प्राइवेट नम्बर व समय को निम्न प्रोफार्मा पर अपनी लॉग पंजिका में अंकित करेगा। स्टेशन मास्टर यह प्रविष्टि लाल स्याही से टी.एस.आर., प्राइवेट नम्बर पुस्तिका एवं गेट लॉग पुस्तिका में करेगा। ततपश्चात् गेटमैन ट्रैक पर समपार के दोनों तरफ बैनर फ्लैग/लाल बत्ती लगाकर फाटक खोलेगा। सड़क यातायात निकालने के बाद फाटक पुनः बन्द कर देगा तथा स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के साथ इसकी पुष्टि करेगा।

**नोट :-** स्टेमा तथा गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेंगे –

**स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-**

तिथि	गाड़ी सं0	गेट से गाड़ी पूरी पास होने का गेटमैन का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट खोलने की अनुमति मांगने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा गेट खोलने की अनुमति देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

( के0 एस0 सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )  
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )  
मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

## गेटमैन की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं0	गेट से गाड़ी पूरी पास होने का गेटमैन का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट खोलने की अनुमति माँगने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा गेट खोलने की अनुमति देने का समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने का समय	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(II) **गाड़ियों का पास करना** – कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ किसी भी अप गाड़ी का लाइन क्लीयर देने अथवा डाउन गाड़ी को प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि समपार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है एवं उसको गेट मैन से इसकी पुष्टि में प्राइवेट नम्बर प्राप्त है। यदि स्टेशन मास्टर ने समपार को सड़क यातायात पास करने के लिए खोलने की अनुमति दी हुई है तो स्टेशन मास्टर को किसी भी गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से पूर्व अथवा किसी गाड़ी को उस समपार की ओर जाने के लिए प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि समपार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द करके गेटमैन से प्राइवेट नम्बर प्राप्त हो गया है।

2.3 **टेलीफोन संचार की विफलता :-**

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो—

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
2. गेट के तरफ आने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ स्टेशन मास्टर/कमालगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
3. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक के तरफ सावधानी पूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
5. ड्राइवर को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ संकेत नहीं दिखायी देता है तो ड्राइवर को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिग्नल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं है तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
8. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

( के0 एस0 सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )

वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )

मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

जारी तिथि

लागू तिथि

**2.4 लिफिटिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :-**

फतेहगढ़

1. जब लिफिटिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुई गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी कमालगंज के तरफ आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफिटिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ इन्जी0 विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफिटिंग बैरियर गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इन्जी0 विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

**2.5 समपार फाटक पर अवरोध :-**

1. यदि काई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफिटिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को यदि प्रस्थान सिग्नल किसी ट्रेन के लिये 'आफ' किया गया हो तो उसको 'आन' करने के लिए सूचित किया जायेगा। यदि कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ ने स्टेशन मास्टर/कमालगंज को किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज को प्राइवेट नं0 का आदान प्रदान करते हुये अवरुद्ध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ से कोई प्रत्युतर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा लेकर एवं दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्रायकलर फ्लैशिंग हैण्ड सिग्नल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन सम्भावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संरव्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।
6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

( को एस0 सोनाल )

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )

वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )

मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0

पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

जारी तिथि

लागू तिथि

फतेहगढ़

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे— चालक का नाम, सड़क वाहन का नम्बर एवं मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क वाहन या लिफिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ को सूचित करेगा तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ यही सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर/कमालगंज को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत देगा।
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़/कमालगंज सभी ट्रेन के चालकों को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हरा संकेत देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिए संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हृत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर जिम्मेदार इन्जी0 स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल इन्जी0 स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

## 2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध :-

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/फतेहगढ़ मद सं 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिए सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

( के0 एस0 सोनाल )  
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अजय वार्ष्ण्य )  
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर-II  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

( अतुल सिंह )  
मण्डल सिंग0 एवं दूरसंचार इन्जी0  
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर